

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नवान संतरा देवी बनाम सूमा देवी वर्मा

कस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. 142 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
31/17	<p>वकील वादिवा श्री बनवारी काल जांशू ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा पर्ज रजिस्टर किया जाके। प्रतिवादीगण की तकली जनिष्ट सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 30-11-2017 को पेश हो।</p> <p>30/17 पत्रावली पेश हुई। क्युलम परिक्रम <del>...</del> अधिकारी से /अनु कार्य में पत्र पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27.3.18 को पेश हो।</p>	
27/18	<p>पत्रावली पेश हुई। क्युलम परिक्रम <del>...</del> अधिकारी से /अनु कार्य में पत्र पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.04.18 को पेश हो।</p>	
17/18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादिवा ने एक प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षधारान के मध्य काहमी राकी नामा हो गया है। वादिवा प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है तथा न्यायालय से आगे कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः दावा विद्, किये जाने की अनुमति प्रदान करे। वकील वादी द्वारा प्रा-पुन प्रार्थना-पत्र लकीकार किया जाकर दावा विद् किये जाने की अनुमति</p>	

तारीख वृत्त	वृत्त या कार्यवाही का लक्ष्य/कार्य	वृत्त या कार्यवाही का स्थान
	<p>प्रदान की जाती है। प्रकृता में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकृता इसी तार पर प्रेषित की जाती है। पत्रावली कुशल सुमान होकर नम्बर में कम हो तथा बाद तकनीक वकिल वकालत हो। निर्णय सरे इत्यादि सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">12/1/18</p>	